संख्या-167/2016/आर-3360/26-3-2016-रिट(6)/2015

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 15 सितम्बर 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-4181/2014 ट्रिनिटी कालेज आफ मैनेजमेनट एण्ड टेक्नालाजी गाजियाबाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-28.07.2014 के अनुपालनार्थ दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-758/स.क./शिक्षा-अ/लखनऊ, 2015-16, दिनांक-24.06.2016 एवं पत्रांक-1537/स.क./शिक्षा-अ/2016-17,दिनांक-28.07.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-28.07.2014 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था में वर्ष 2013-14 में अध्ययन प्राप्त अनुसूचित जाति के पात्र पाये गये 66 छात्र-छात्राओं की दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपये-64,81,200/-(रूपये चौसठ लाख इक्यासी हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष मे प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उक्त भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्राप्त सभी आवेदनकर्ता छात्र एवं छात्रायें सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावली की समस्त शर्तो को पूर्ण करते हो।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं। भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-167/2016/आर-3360/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थाई अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, को उक्त रिट याचिका संख्या-4181/2014 में पारित आदेश दिनांक-28.07.2014 के सन्दर्भ में।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in